

**sHIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4993/2025

Lalit Kumar Kumawat S/o Sh. Narayan Prasad, Aged About 37 Years, R/o House No. A-55, Sudarshana Nagar, Police Station Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner (Presently Lodged In Central Jail, Bikaner)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Vinay Tanwar S/o Sh. Jugal Kishore Mali, R/o Bhaniji-Ki-Bari, Murlidhar Byas Coliny, Police Station - Naya Shahar, Bikaner

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepak Menaria Mr. Mohd. Rashid
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Rajeev Bishnoi for Complainant

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

27/08/2025

प्रार्थी-अभियुक्त **ललित कुमार** की ओर से यह जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना जय नारायण व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 79/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 377, 511 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त तथा शिकायतकर्ता के योग्य अधिवक्ता व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। घटना भी काफी पुरानी बतलाई

गई है। यदि परिवादी के कहे अनुसार घटना घटित हुई होती तो पीड़ित बालक कभी भी इसकी सूचना दे सकता था। प्रार्थी-अभियुक्त को हिसाब-किताब की बात को लेकर रंजिशवश उसे फसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रकरण में लंबे समय से विचारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 25.03.2025 से अभिरक्षा में है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक एवं परिवादी के योग्य अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार की घटना इस प्रकरण में बतलाई गई है, उसके अनुसार प्रार्थी-अभियुक्त, जिसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखा जाता है, उसके द्वारा एक नाबालिग बच्चे के साथ प्रकृति के विरुद्ध कृत्य किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी-अभियुक्त के द्वारा धार्मिक विश्वास और आस्था के नाम पर एक नाबालिग बालक के साथ गंभीर कृत्य किया गया है। प्रकरण में बाद अनुसंधान प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाए जाने से आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध अन्तर्गत धारा 377, 511 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की जो रिपोर्ट परिवादी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को दर्ज करवाई गई थी, उसमें यह बताया गया था कि प्रार्थी-अभियुक्त ललित कुमार प्रजापत जो कि शिवशक्ति नागणेच्या ट्रस्ट का ट्रस्टी है एवं स्वयं में नागणेची माताजी का निवास होने का दावा करता था, इसके पास आस्था की वजह से कई लोग आते थे जो इसके सामने अपनी समस्याएं रखते थे, जिनका हल करने का वह दावा किया करता था और इसी आस्था और विश्वास के आधार पर परिवादी पक्ष प्रार्थी-अभियुक्त के संपर्क में आया था। तत्पश्चात् प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा नाबालिग के साथ ढोंग करते हुए उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक मैथून किया जाना और अन्य प्रकार के

अप्राकृतिक कृत्य किया जाना भी इस रिपोर्ट में बताया गया था। प्रकरण के विचारण में जहां तक विलंब होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में दिनांक 30.05.2025 को ही प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है। इसके पश्चात् प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से बहस-आरोप हेतु समय भी लिया जाता रहा है एवं दिनांक 11.06.2025 को बहस-आरोप सुनने के बाद प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या उक्त अपराध बनने पाए जाने से आरोप विरचित किए गए थे। प्रकरण में परिवादी एवं नाबालिग बालक के कथनों के अनुसार वे प्रार्थी-अभियुक्त के धाम पर आते-जाते रहते थे, जहां पर प्रार्थी-अभियुक्त के द्वारा कई बार बालक के साथ जबरदस्ती, माता जी का हुकम बता कर, अप्राकृतिक मैथून और अप्राकृतिक हरकतें करते हुए उसके शरीर से चिपक कर जबरन चुंबन लिया जाता था। प्रकरण की घटना जिस समय की बतलाई गई है उस समय बालक नाबालिग था। प्रकरण में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष भी गवाहानों द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध कथन किए गए हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष अभी भी मुख्य गवाहान के बयान लेखबद्ध होना शेष है। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त ललित कुमार को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **ललित कुमार पुत्र नारायण प्रसाद** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J